

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।
(प्रकरण क्रमांक FP/MP/MIN/152432/2022)

1	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी नहीं।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	ललित पंचाल प्रोपाइटर स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस 975/76 सेक्टर -13 हुददा भिवानी हरियाणा द्वारा खनिज पत्थर उत्खनन परियोजना में वनमंडल रीवा के वन परिक्षेत्र मउगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-334 (खसरा क्रमांक 2/1) रकबा 4.59 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। वनमंडलाधिकारी रीवा की अनुशंसा अनुसार उक्त वनभूमि कक्ष क्रमांक पी.एफ.-334 वन विकास निगम रीवा सीधी परियोजना मण्डल को हस्तांतरित है तथा वनभूमि के आस-पास राजस्व भूमि में पूर्व से खदाने संचालित हैं। वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रीवा द्वारा प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत ललित पंचाल प्रोपाइटर स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस 975/76 सेक्टर -13 हुददा भिवानी हरियाणा को खनिज पत्थर उत्खनन हेतु कक्ष क्रमांक पी.एफ.-334 (ग्राम हरई गुजरान, खसरा क्रमांक 2/1) की रकबा 4.59 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी वनमण्डल रीवा द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी वनमंडल रीवा के परिक्षेत्र मउगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-334 रकबा 4.59 हेक्टेयर वन भूमि खनिज पत्थर उत्खनन हेतु ललित पंचाल प्रोपाइटर स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस 975/76 सेक्टर -13 हुददा भिवानी हरियाणा के पक्ष में व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 10/11/2022

स्थान: रीवा


(राजेश कुमार राय)
वन संरक्षक

रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)